आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल

नामांतरण अपील वाद सं0 07/2017–18

आवेदक– एनामुल शेख वगै0

बनाम

विपक्षी– मोतीउर रहमान वगै0

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह नामांतरण अपील वाद एनामुल शेख, पिता– स्व0 हुसैन शेख, सा0+पो0+थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 449/15–16 में दिनांक 23.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही आवेदक के द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत् कालक्षन्ति हेतु आवेदन दाखिल की गई है, जिसे स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही दिनांक 24.08.2017 को प्रारम्भ करते हुए निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख एवं उत्तरवादी से कारण पृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण

राधानगर थानान्तर्गत मौजा राधानगर 245 के

ज0नं0	दाग नं0	रकवा
118	752	00–01–18
	774	00–02–18
	778	00–00–14
	802	00–01–02
		कुल रकवा–00–06–02

आज अपीलार्थी की ओर से वकालतन हाजरी है। उत्तरवादी अनुपस्थित। फलस्वरूप अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन नाजिबुद्दीन शेख की थी एवं उनके मरणोपरांत उनके पाँच पुत्र ताबजुल शेख, आलोवाद शेख, अनसार शेख, हुसैन शेख एवं जुद्दीन शेख को वारिस सूत्र से प्राप्त हुए। तबजुल शेख तथा आलोवाद शेख ने अपने हिस्से की जमीन को हुसैन शेख के पास अनिबंधित केवाला से काफी पहले 100/– (एक सौ) रूपये से कम कीमत पर बेचकर दखल दिहानी दे दिये थे। हुसैन शेख उक्त जमीन पर अपने जीवनकाल तक भोग दखल में रहे एवं उक्त जमीन में आम का पेड लगाये। अपीलार्थी को वर्णित भूमि उत्तराधिकारी सूत्र से प्राप्त कर दखलकार हैं। उत्तरवादी ने अपीलार्थी के अन्य गोतिया से गलत केवाला बनाकर उक्त भूमि पर दावा कर रहे हैं, लेकिन दखल में नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में आपत्ति दायर किया गया था तथा कहा गया था कि आवेदक दखल में नहीं है। तब निम्न न्यायालय द्वारा वर्णित जमीन का स्थल जाँच की गई थी जिसमें अपीलार्थी का दखल पाया है। इसके बावजूद अपीलार्थी का दाखिल खारिज नहीं किये हैं।

अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के नामांतरण वाद सं0 449/15–16 में दिनांक 22.03.2017 के पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किये हैं।

निम्न न्यायालय के नामांतरण वाद सं0 449/2015–16 के सत्यापित प्रति के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदकगण एवं विपक्षी एक ही खतियानी रैयत नवी शेख के वंशज है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के साथ दिनांक 23.09.2015 को स्थल जाँच किया गया था, उस समय विपक्षी एनामुल शेख ने आवेदित जमीन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिखाया था एवं विवादित स्थल

खाली पडा था। विपक्षी ने जबरदस्ती खेसरा सं0 752 के आंशिक भाग पर टाट दीवाल एवं टीना छावनी का घर बनाना शुरू किया, जिसकी सूचना आवेदक ने थाना प्रभारी राधानगर को दिनांक 14.02.2017 को लिखित रूप से दिया है।

स्थल जाँच से स्पष्ट हुआ कि खेसरा सं0 774, 752 एवं 802 आवेदक मोतीउर रहमान के दखल कब्जा में है। जिला परिषद सदस्य (14) एवं राधानगर पंचायत के जन प्रतिनिधिगण तथा ग्रामीणों ने आवेदक के पक्ष में लिखित रूप से आवेदित जमीन के नामांतरण की अनुशंसा की है।

अतः तमाम परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत मौजा राधानगर के जमाबंदी नं0 118 खेसरा सं0 752 रकवा 01 कट्ठा 08 धूर खेसरा सं0 774 रकवा 02 कट्ठा 18 धूर एवं खेसरा नं0 802 रकवा 01 कट्ठा 02 धूर कुल रकवा 05 कट्ठा 08 धूर जमीन उत्तरवादी मोतीउर रहमान पिता वो नाबालक वलीउल रहमान पे0 स्व0 अलवाद शेख सा0 राधानगर के नाम से नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल निम्न न्यायालय के नामांतरण वाद सं0 449/2015–16 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अंचल अधिकारी, उधवा ने नामांतरण वाद सं0 449/2015–16 में उत्तरवादी के द्वारा दायर नामांतरण आवेदन को स्थगित (Drop) किया गया था। तब उत्तरवादी ने उक्त आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद आवेदन दाखिल किये। इस न्यायालय में नामांतरण वाद सं0 01/2016 (मोतीउर रहमान वगै0–बनाम्–अंचल अधिकारी, उधवा वगै0) में दिनांक 04.07.2016 को अंतिम आदेश पारित कर अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 449/2015–16 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side)करते हुए अंचल अधिकारी, उधवा को आदेश दिय गया है, कि वाद में बिहारी अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 के तहत् पुनः सुनवाई कर न्यायोचित आदेश पारित करें। अंचल अधिकारी, उधवा ने उक्त आदेश के आलोक में नामांतरण वाद सं0 449/2015–16 में पुनः उभय पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 23.03.2017 को उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थियों पर सम्यक रूपेण विचारोपरांत अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 449/2015–16 में दिनांक 23.03.2017 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी एनामुल शेख के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल